

कार्यालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उदयपुर

क्रमांक : 28

दिनांक : 21.04.2025

कार्यालय आदेश

कार्यालय महिला पुलिस थाना सलूमबर जिला सलूमबर द्वारा प्रस्तुत पत्र में वर्णित तथ्य अनुसार राजस्थान सरकार के गृह (ग्रुप-2) विभाग के आदेश क्रमांक प.27(क)(39), गृह-2/2024 पार्ट एवं महानिदेशक पुलिस राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक ए-21 (28) पुर्न/जन./महिला पुलिस थाना/2024/1712 दिनांक 13.08.2024 द्वारा सलूमबर जिले में महिला पुलिस थाना की स्थापना की गयी है, जिसके अनुसरण में मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 12(1) व 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नवसृजित महिला पुलिस थाना के आपराधिक प्रकरणों की सुनवाई हेतु निम्नप्रारूप अनुसार कॉलम संख्या 03 में अंकित न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्रदान किया जाता है :-

1	2	3
क्र.सं.	नवसृजित पुलिस थाना	न्यायालय जिस नवसृजित पुलिस थाने का क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है।
01	महिला पुलिस थाना सलूमबर जिला सलूमबर (राज.)	न्यायिक मजिस्ट्रेट, सलूमबर जिला सलूमबर (राज.)

नोट :- उपर्युक्त आदेश का प्रभाव किसी विशेष अधिनियम के तहत संस्थित होने वाले विभिन्न वतकमत प्रकरणों की सुनवाई की क्षेत्राधिकारिता पर नहीं पड़ेगा, जिनके संबंध में पूर्व में पृथक से आदेश दिए गए हैं अथवा विधि में जिनके संबंध में विशेष प्रावधान है।

(अम्बिका सोलंकी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उदयपुर

क्रमांक/स्था./2025/716

दिनांक : 21.04.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, उदयपुर
2. श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर
3. श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक, सलूमबर
4. न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, सलूमबर
5. थानाधिकारी महिला पुलिस थाना, सलूमबर
6. श्री अमोल शांडिल्य, सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, उदयपुर

(अम्बिका सोलंकी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उदयपुर